संख्या-51/2026/918/2026/12-5/39/2023/1862321

प्रेषक,

एस०पी० गोयल,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग/ चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग/ उद्यान विभाग/ कृषि विभाग/ पंचायती राज विभाग/ ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश।

कृषि अनुभाग-5 **लखनऊ:: दिनांक:: 21 सितम्बर, 2026**

विषय:- एग्रीस्टैक (डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रीकल्चर) के अन्तर्गत फार्मर रजिस्ट्री तैयार करने हेतु दिनांक 25 सितम्बर, 2026 से 31 दिसम्बर, 2026 तक विशेष अभियान।

महोदया/ महोदय,

प्रदेश में कृषकों की भूमि को एक स्थान पर संकलित रूप से प्रदर्शित करने तथा उनके भू-अधिकारों के अभिलेखीकरण के उद्देश्य से फार्मर रजिस्ट्री तैयार किए जाने का कार्य शीर्ष प्राथमिकता पर सम्पादित किया जा रहा है। प्रदेश के समस्त कृषकों को संतृप्त किए जाने के हेतु कृषि अनुभाग-5, उ०प्र०शासन के शासनादेश संख्या-43/2024/648/12-5099/2023 दिनांक 12 जून, 2024, शासनादेश संख्या-1337/12-5-2024/1803641/12-5/39/2023 दिनांक 18 नवम्बर, 2024, शासनादेश संख्या-52/2025/1081/2025/12-5099/23/2023 दिनांक 29 अगस्त, 2025 एवं शासनादेश संख्या-56/2025/1224/2025/1862321/2025/12-5/39/2023 दिनांक 26 सितम्बर, 2025 द्वारा निर्देश निर्गत किए गए हैं।

फार्मर रजिस्ट्री निर्माण की प्रगति की समीक्षा से यह तथ्य प्रकाश में आया है कि प्रदेश में अभी भी बड़ी संख्या में कृषक इस प्रक्रिया से आच्छादित नहीं हुए हैं तथा कतिपय जनपदों में अभी भी प्रगति असन्तोषजनक है। कृषि अनुभाग-5, उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या-25/2026/51/2026/12-5099/54/2025/1932579 दिनांक 08 अप्रैल, 2026 द्वारा फार्मर आईडी (किसान पहचान पत्र) को विभागों द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के लिए अनिवार्य किया गया है। अतः आवश्यक है कि एक विशेष अभियान चलाकर प्रदेश के समस्त किसानों की फार्मर आईडी (किसान पहचान पत्र) का निर्माण पूर्ण कराया जाए। तत्क्रम में दिनांक 31 दिसम्बर, 2026 तक सभी कृषकों को फार्मर रजिस्ट्री योजना से संतृप्त किए जाने का निर्णय लिया गया है।

उपर्युक्त के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शत-प्रतिशत कृषकों की फार्मर रजिस्ट्री पूर्ण कराए जाने हेतु दिनांक 25 सितम्बर, 2026 से 31 दिसम्बर, 2026 तक एक विशेष अभियान संचालित किया जाना है, जिसकी रणनीति निम्नवत् है:-

i. ग्राम स्तर पर समस्त जनपदों द्वारा कैम्प लगाए जाए तथा समस्त कृषकों व भू-स्वामियों की फार्मर रजिस्ट्री बनाने का कार्य दिनांक 31 दिसम्बर, 2026 तक पूर्ण कर लिया जाए।
ii. इस अवधि में भूस्वामी कृषकों के अतिरिक्त एग्रीस्टैक योजना के अन्तर्गत नवविकसित कल्टिवेटर / टैनेन्ट मॉड्यूल का प्रयोग कर किराए / बटाई पर जमीन लेकर खेती करने वाले कृषकों की भी फार्मर आई०डी० बनाई जाए।
iii. जनपदीय उप कृषि निदेशक एवं जिलाधिकारी द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी को संयुक्त रूप से कैम्पों के आयोजन हेतु नोडल अधिकारी नामित किया जाए।
iv. इस अभियान में लेखपाल की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण है, अतः उनके द्वारा ग्रामों में यथावश्यक रात्रि निवास कर खतौनी सम्बन्धी समस्याओं का निराकरण कर फार्मर रजिस्ट्री का कार्य पूर्ण कराया जाए।
v. दिनांक 25 सितम्बर, 2026 से 31 दिसम्बर, 2026 तक विशेष अभियान के अन्तर्गत सर्वप्रथम ऐसे ग्रामों को चिन्हित कर लिया जाए जहां न्यूनतम फार्मर रजिस्ट्री हुई हैं। इन ग्रामों में कैम्प लगाकर कृषकों की खतौनी सही करने, नेम मैच स्कोर (NMS) तथा अंश निर्धारण की प्रक्रिया आदि को पूर्ण कराने हेतु कृषकों को प्रेरित करते हुए फार्मर रजिस्ट्री का कार्य पूर्ण कराया जाए।
vi. कैम्प मोड में कार्य किए जाने वाले कार्मिकों हेतु इस अभियान के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा ऑपरेटर मोड बनाया गया है। इस हेतु जनपद में कार्यरत राजस्व विभाग के लेखपाल एवं कृषि विभाग के तकनीकी सहायक वर्ग-सी, खण्ड तकनीकी प्रबन्धक (बीटीएम) एवं सहायक तकनीकी प्रबन्धक (एटीएम) को कैम्प मोड के ऑपरेटर के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाए।
vii. चिन्हित ग्रामों में व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु दैनिक समाचार पत्रों, सोशल मीडिया, टीवी चैनलों एवं मुनादी आदि का उपयोग किया जाए।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

viii. इस विशेष अभियान में ग्राम प्रधानों, ग्राम पंचायत सदस्यों एवं क्षेत्र पंचायत सदस्यों के साथ यथावश्यक अन्य जनप्रतिनिधियों का भी सहयोग प्राप्त किया जाए। फार्मर आई०डी० तैयार करने वाले कैम्पों में राजस्व एवं कृषि विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों अर्थात् लेखपाल व तकनीकी सहायक / बीटीएम / एटीएम की ड्यूटी लगायी जाए एवं पर्यवेक्षक अधिकारी के रूप में राजस्व निरीक्षक / नायब तहसीलदार अथवा कृषि विभाग के प्राविधिक सहायक, ग्रुप-ए/ श्रेणी-2 के अधिकारियों को तैनात किया जाए। इसके साथ ही जनपद में राजस्व विभाग एवं कृषि विभाग के अतिरिक्त अन्य प्रशासनिक विभागों यथा पंचायती राज विभाग, ग्राम्य विकास विभाग, गन्ना विकास विभाग एवं उद्यान विभाग के क्षेत्रीय कार्मिकों तथा जनपद में कार्यरत बीसी-सखी एवं कृषि-सखी को फार्मर रजिस्ट्री के क्रियान्वयन हेतु बनाए गए मोबाइल ऐप (FARMER SAHAYAK UP APP) के प्रयोग का समुचित प्रशिक्षण देते हुए कार्य किए जाने हेतु नियुक्त किया जाए।

ix. जिला प्रशासन द्वारा कैम्प मोड में नियुक्त होने वाले कार्मिकों के विषय में इस शासनादेश के संलग्नक में दिए गए प्रारूप पर एक रिसोर्स शीट तैयार की जाए, जिसमें राजस्व एवं कृषि विभाग के अधिकारी/ कर्मचारी द्वारा कैम्प के आयोजन के दिनांक आदि का उल्लेख किया जाए।

x. कैम्प के आयोजन में यह विशेष रूप से ध्यान रखा जाए कि आयोजन स्थल, कार्मिकों के कार्य एवं उक्त कैम्प में आने वालों के लिए सुविधाजनक हो और जहां ऑनलाइन (ONLINE) कार्य करने हेतु Electricity व Internet की सुविधा के साथ-साथ कुर्सी, मेज इत्यादि की उपलब्धता हो। ग्राम पंचायतों में स्थापित ग्राम सचिवालयों को इस हेतु प्राथमिकता प्रदान की जाए।

xi. इस अभियान के अन्तर्गत फार्मर रजिस्ट्री बनाए जाने के कार्य की दैनिक समीक्षा जिलाधिकारी अथवा जिलाधिकारी द्वारा नामित अधिकारी द्वारा की जाए।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,
एस०पी० गोयल
मुख्य सचिव।

संख्या-51/2026/918(1)/2026/12-5099/21/2023, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव, मा० मंत्री जी, कृषि, कृषि शिक्षा एवं अनुसन्धान विभाग, उ०प्र०।
2. निजी सचिव, मा० राज्य मंत्री जी, कृषि, कृषि शिक्षा एवं अनुसन्धान विभाग, उ०प्र०।
3. कृषि उत्पादन आयुक्त, उ०प्र० शासन।
4. अपर मुख्य सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी, उ०प्र० शासन।
5. प्रमुख स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
6. विशेष सचिव, कृषि विभाग, उ०प्र० शासन।
7. संयुक्त कृषि निदेशक/ योजनाधिकारी।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
रविन्द्र
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

51/2026

शासनादेश संख्या: /918/2026/12-5/39/2023, दिनांक 21 सितम्बर, 2026 का संलग्नक

रिसोर्स शीट का प्रारूप											
क्र0सं0	तहसील	राजस्व ग्राम	ग्राम का LGD कोड	दिनांक (कब से)	दिनांक (कब तक)	कृषि विभाग/ अन्य विभाग के क्षेत्रीय कार्मिक का वर्णन			राजस्व विभाग के कार्मिक का विवरण		पर्यवेक्षक अधिकारी का नाम तथा मो0नं0
						कार्मिक का नाम	पदनाम	मो0 नं0	लेखपाल का नाम	मो0 नं0	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12